

उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल में

श्री न्यायाधीश एस० के० मिश्रा, ए०सी ० जे०

श्री न्यायाधीश आर० सी० खुलबे, जे० ।

22 अप्रैल 2022 वाणिज्यिक कर परीक्षण संख्या 23/2013

के मध्ये:

प्रागिया विपन प्रबंधक, उत्तराखंड वन विकास निगम।पुनरीक्षणकर्ता

और

आयुक्त, वाणिज्यिक कर, उत्तराखंड देहरादून.प्रत्यार्थी

पुनरीक्षणकर्ता हेतु अधिवक्ता:

श्री एस० के० पोसती०, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री वी० के० कपरुवं और विद्वान अधिवक्ता श्री आशुतोष पोस्ती द्वारा सहायता प्राप्त।

प्रत्यार्थी हेतु अधिवक्ता:

सुश्री पूजा बंगा, उत्तराखंड राज्य की विद्वान ब्रीफ़ होल्डर हैं।

विद्वान अधिवक्तागण को सुनने पर, न्यायालय ने निम्नलिखित किया

निर्णय (द्वारा श्री न्यायाधीश एस० के० मिश्रा, ए० सी ० जे०)

इस वाणिज्यिक कर पुनरीक्षण में, पुनरीक्षणकर्ता-निर्धारिती i.e.

मेसर्स प्रागिया विपन प्रबंधक, उत्तराखंड वन विकास निगम, टनकपुर ने वाणिज्यिक

कर अधिकरण उत्तराखंड, हल्द्वानी पीठ, हल्द्वानी द्वारा द्वितीय अपील सं.

71/2022, उत्तराखंड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 53 के तहत

दायर (इसके बादसंक्षिप्तता के लिए "अधिनियम" के रूप में संदर्भित), उनकी

अपील को खारिज करते हुए, जिसमें उन्होंने अधिनियम के तहत वर्ष 2007-08 के मूल्यांकन को चुनौती दी है, और निगम के माल और माल के बिक्री मूल्य में 'मंडी शुल्क' को शामिल किया है।

2. इस वाणिज्यिक कर पुनरीक्षण को दाखिल करने वाले मामले के तथ्य यह हैं कि पुनरीक्षणकर्ता राज्य के स्वामित्व वाले निगम का प्रतिनिधित्व करता है, जो वन उपज के व्यापार के व्यवसाय में लगा हुआ है जैसे की लकड़ी, जलाऊ लकड़ी, जदी बूटी आदि। पुनरीक्षणकर्ता -निर्धारिती को दिनांक 26.04.2011 के निर्धारण आदेश द्वारा अधिनियम की धारा 25 (6) के तहत कर निर्धारण किया गया था, और निर्धारिती द्वारा रखी गई लेखा पुस्तकों को स्वीकार कर लिया गया था। हालांकि, खरीदारों से वन उपज की बिक्री पर मंडी शुल्क और विकास उपकर के रूप में ली जाने वाली राशि को पुनरीक्षणकर्ता -निर्धारिती द्वारा कर योग्य कारोबार का हिस्सा घोषित नहीं किया गया था। आकलन प्राधिकरण ने दिनांक 26.04.2011 के निर्धारण आदेश में कहा कि मंडी शुल्क और खरीददारों से विकास उपकर के रूप में प्राप्त राशि को अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (42) के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार कर योग्य कारोबार के एक हिस्से के रूप में शामिल किया जाएगा।

3. इस तरह के आदेश से व्यथित होकर, पुनरीक्षणकर्ता-निर्धारिती ने विद्वान संयुक्त आयुक्त (अपील) के समक्ष प्रथम अपील संख्या 417 ऑफ 2011।

विद्वान संयुक्त आयुक्त (अपील) ने दिनांक 17.02.2012 के आदेश के माध्यम से इस मुद्दे पर मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा दर्ज किए गए परिणाम की पुष्टि की गई। विद्वान संयुक्त पीठ (अपील) के इस आदेश को दूसरी अपील सं. 71/2012 में चुनौती दी। उक्त दूसरी अपील 21.09.2012 को खारिज कर दी गई थी। इसके बाद, पुनरीक्षणकर्ता -निर्धारिती ने वाणिज्यिक कर पुनरीक्षण संख्या 26/2012 में अधिनियम के अधीन धारा 55, इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। इस न्यायालय ने दिनांक 18.12.2012 के निर्णय और आदेश द्वारा मामले में निहित मुद्दे पर नए सिरे से निर्णय लेने के लिए मामले को अधिकरण को वापस भेज दिया। तदनुसार, दूसरी अपील संख्या 71/2012 को इसकी मूल संख्या में बहाल कर दिया गया था, और नए सिरे से नए सिरे से सुना गया था। उक्त दूसरी अपील विद्वान अधिकरण द्वारा दिनांक 05.07.2013 के निर्णय और आदेश द्वारा खारिज कर दी गई थी, जो इस मामले में आक्षेपित है।

4. विद्वान अधिकरण, अधिनियम की धारा 2 के उप-धारा (42) के तहत 'बिक्री मूल्य' की परिभाषा पर विचार किया, और अप्रकाशित मामला *मेसर्स अशोक कुमार बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य; सिविल विविधारिट याचिका सं। 2009 का 681 दिनांक 01.09.2010* को विनिश्चय किया गया और इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि मंडी शुल्क 'विक्रय मूल्य' का भाग होगा और

इसलिए अपील को खारिज कर दिया गया। रिमांड पर पारित इस फैसले पर इस वाणिज्यिक कर पुनरीक्षण में अपेक्षित किया गया है।

5. श्री एस० के० पोसती०, पुनरीक्षणकर्ता-निर्धारिती की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने अधिनियम में उपलब्ध 'बिक्री मूल्य' की परिभाषा पर भरोसा किया, और उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम 1964 में धारा 17 (ख) (iii), जिस पर फिलहाल रद्द किया गया है, उत्तराखंड कृषि उपज विपणन (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2011 की धारा 95 के आधार पर। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम, 1964 (इसके बाद संक्षिप्तता के लिए "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 17 (iii) (बी) के तहत परिभाषा के अनुसार, मंडी शुल्क खरीदारों से एकत्र किया जाना है, और मंडी समिति की ओर से एक एजेंट के रूप में इसके संग्रह और मंडी समिति को ही अंतिम प्रेषण के बदले में, यह नहीं है निगम के कोष में जाएँ। इसलिए, मंडी शुल्क जैसी एकत्रित राशि पर कर नहीं लगाया जा सकता है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि, मेसर्स आनंद स्वरूप महेश कुमार बनाम बिक्री कर आयुक्त (1980) 4 एस. सी. सी. 451 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के कथित निर्णय के आधार पर, जिसने उसी प्रावधान पर विचार किया, मंडी शुल्क को निगम द्वारा डील किए गए माल के बिक्री मूल्य में शामिल नहीं किया जा

सकता है। इसलिए, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता प्रार्थना करते हैं कि आक्षेपित आदेशों को अपास्त कर दिया जाए।

6. दूसरी ओर, उत्तराखंड राज्य के लिए विद्वान ब्रीफ़ होल्डर सुश्री पूजा बंगा का तर्क रहा कि इस मुद्दे पर पहले ही इस न्यायालय की एक विद्वान एकल पीठ द्वारा मेसर्स अशोक कुमार बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य रिट याचिका संख्या 681/2009 दिनांकित 01.09.2010 के मामले में निर्णय लिया जा चुका है और विनिश्चय किया गया और इस न्यायालय के दृष्टिकोण को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है।

7. यह न्याय निर्णित करना कि क्या मंडी शुल्क को मंडी में निगम द्वारा बेचे जाने वाले सामान के बिक्री मूल्य में शामिल किया जाना चाहिए, हमें इसमें अधिनियम में प्रदान की गई धारा 17 (iii) (ख) को ध्यान में रखना होगा, जिसे U.P. अधिनियम 07/1978 , द्वारा पूर्व दिनांक 12/06/1973 से प्रभावी होने के साथसंशोधित किया गया है। उक्त प्रावधान इस प्रकार है:-

“17. A Committee shall, for the purposes of this Act, have the power to:-

(iii) levy and collect:

(b) market fee, which shall be payable on transactions of sale of specified agricultural produce in the market area at such rates, being not less than one percentum and not more

than one and half percentum of the price of the agricultural produce so sold, as the State Government may specify by notification, and such fee shall be realised in the following manner -

(1) if the produce is sold through a commission agent, the commission agent may realise the market fee from the purchaser and shall be liable to pay the same to the Committee;

(2) if the produce is purchased directly by a trader from a producer the trader shall be liable to pay the market fee to the Committee;

(3) if the produce is purchased by a trader from another trader, the trader selling the produce may realise it from the purchaser and shall be liable to pay the market fee to the Committee; and

(4) in any other case of sale of such produce, the purchaser shall be liable to pay the market fee to the Committee”

8. इस प्रकार, उपरोक्त प्रावधान से यह स्पष्ट है कि यदि उपज को कमीशन एजेंट द्वारा से बेचा जाता है, तो इस मामले में कमीशन एजेंट निगम होने के नाते, खरीदार से बाजार शुल्क प्राप्त करेगा और समिति को उसी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। दूसरे शब्दों में, बाजार शुल्क, या मंडी शुल्क, जो की क्रेता से मिल हो, निगम के कोष में नहीं जाएगा, बल्कि इसका भुगतान मंडी समिति को किया जाएगा।

9. इस प्रावधान की व्याख्या करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय U.P. विक्रय कर अधिनियम की धारा 3D के तहत बिक्री कर के उद्ग्रहण के

प्रयोजनों के लिए आवेदक की खरीद के टर्नओवर में आयोग एजेंट को देय बाजार शुल्क और कमीशन, जिसे अन्यथा 'दमी' कहा जाता है, को शामिल करने से संबंधित प्रश्न पर विचार कर रहा था। पेपरिका लिमिटेड v. व्यापार बोर्ड; [1944] 1 K.B. 327 और लव बनाम नॉर्मन राइट (बिल्डर्स) लिमिटेड; [1944] 1 K.B. 484 (C.A.), एंड अन्न के रिपोर्ट किए गए मामलों को ध्यान में रखने के बाद, माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि मंडी शुल्क को बिक्री मूल्य में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। ऊपर उल्लिखित दोनों निर्णयों में, यह निर्धारित किया गया है कि कुछ दंडात्मक प्रावधानों के प्रयोजन के लिए माल के अनुबंध के तहत एक खरीदार द्वारा देय मूल्य अनुबंध द्वारा निर्धारित मूल्य था, और एक विक्रेता जो खरीद कर की राशि की वसूली करना चाहता था, उसे उस राशि को इस प्रकार निर्धारित मूल्य में शामिल करना चाहिए, सिवाय इसके कि जहां एक समायोजन अधिनियम द्वारा अधिकृत किया गया था। उन में की गई टिप्पणियों से उपर्युक्त विनिश्चय इस प्रकार है कि जहां कोई व्यापारी क्रेता को विक्रय के लेन-देन पर अपने द्वारा देय किसी कर को देने के लिए किसी विधि द्वारा प्राधिकृत है, वहां ऐसा कर विक्रय या क्रय पर कर लगाने के प्रयोजनों के लिए प्रतिफल का भाग नहीं है, लेकिन जहां विक्रेता को क्रेता को कर देने के लिए प्राधिकृत करने वाला कोई वैधानिक उपबंध नहीं है, वहां ऐसा कर प्रतिफल का भाग बनता है जब वह उसे मूल्य में सम्मिलित करता है और क्रेता से उसे वसूल करता है। माननीय उच्चतम

न्यायालय ने आगे कहा कि आवश्यक कारक जो मामलों के पूर्व वर्ग को बाद वाले वर्ग से अलग करता है, वह एक वैधानिक प्रावधान का अस्तित्व है जो एक विक्रेता को खरीदार से बिक्री के लेन-देन पर देय कर की वसूली के लिए अधिकृत करता है।

10. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा संयुक्त वाणिज्यिक अधिकारी

डिवीजन II मद्रास – 2 बनाम स्पेंसर एण्ड को आदि (1975) 2 एस. सी. सी.

358 में अपने पहले के फैसले पर भी ध्यान, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया

था कि मद्रास निषेध अधिनियम, 1937 की खंड 21-क के अधीन विदेशी शराब

का विक्रेता जिस बिक्री कर का संदाय करने के लिए दायी था, वह उस टर्नओवर

का भाग नहीं था जिस पर मद्रास सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1959 के अधीन

बिक्री कर लगाया जा सकता था क्योंकि विक्रेता बिक्री कर की वसूली का हकदार

था जो खरीदार से उसके द्वारा देय है। उच्चतम न्यायालय ने आगे कहा कि मद्रास

निषेध अधिनियम, 1937 की खंड 21-ए और अधिनियम की खंड 17 (iii) (ख)

के बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। इसने आगे यह अभिनिर्धारित किया कि

मद्रास निषेध अधिनियम, 1937 की खंड 21-ए के अधीन उद्ग्रहण राज्य सरकार

को देय विक्रय कर था, अधिनियम की खंड 17 (iii) (ख) के अधीन, सम्बंधित

उद्ग्रहण बाजार समिति को देय बाजार शुल्क है, और दूसरा, जबकि पूर्व प्रावधान

द्वारा कहा गया है कि "every person or institution which sells foreign

liquor..... shall collect from the purchaser and pay over to the

Government.....” दूसरा प्रावधान यह अंकित करता है की “if the produce is sold through a commission agent, the commission agent may realize the market fees from the purchaser and shall be liable to pay the same to the Committee”

11. माननीय उच्चतम न्यायालय ने आगे कहा कि दोनों मामलों में शुल्क वैधानिक हैं, हालांकि मद्रास निषेध अधिनियम, 1937 के तहत, यह सरकार को देय कर है और अधिनियम के तहत, यह बाजार समिति को देय शुल्क है, जो एक वैधानिक निकाय है। इन दोनों कानूनों के बीच एकमात्र अंतर यह है कि मद्रास अधिनियम में यह प्रावधान है कि विदेशी शराब बेचने वाला व्यक्ति खरीदार से बिक्री कर वसूल करेगा, अधिनियम में प्रावधान है कि कमीशन एजेंट खरीदार से बाजार शुल्क वसूल कर सकता है। जहां तक रिपोर्ट किए गए मामले में निहित प्रश्न का संबंध है, पहले वाले मामले में 'होगा' और बाद वाले मामले में 'हो सकता है' शब्द का प्रयोग अधिक महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि दोनों ही मामलों में विक्रेता या कमीशन अभिकर्ता, जो, यथास्थिति, कर या फीस का भुगतान करने के लिए दायी है, खरीदार से वैधानिक रूप से इसे वसूल करने का हकदार है और जहां भी कोई व्यापारी ऐसा करने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत है, वहां उसके द्वारा खरीदार से वसूल किए गए कर या फीस को बिक्री कर के उद्ग्रहण के प्रयोजन के लिए टर्नओवर के एक भाग के रूप में नहीं माना जा सकता है।

12. अतः माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि, रिपोर्ट किए गए मामले में, अपीलकर्ता का यह दलील कि अधिनियम के अधीन देय बाजार शुल्क को खरीद के परिवर्तन में शामिल नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसे सही ठहरना जाना चाहिए।

13. वही प्रावधान इस मामले में लागू होता है, क्योंकि इस मामले में, बाजार शुल्क या मंडी शुल्क अधिनियम की धारा 17 (iii) (ख) के तहत लगाया जाता है, और इसलिए, पुनरीक्षणकर्ता-निर्धारिती के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता की यह दलील, राज्य की ओर से विद्वान ब्रीफ़ होल्डर द्वारा उठायी गई दलील से ज्यादा बेहतर है।

14. एक अन्य दृष्टिकोण से देखते हुए, 'बिक्री मूल्य' शब्द को उत्तराखंड वैट अधिनियम, 2005 की खंड 2 की उप-खंड 42 के तहत परिभाषित किया गया है। इसमें इस प्रकार लिखा है:-

(42) *"Sale Price" means the amount of valuable consideration received or receivable by a dealer for sale of any goods and shall include any sum charged for anything done by the dealer in respect of goods at the time or before the delivery thereof, excise duty, special excise duty or any other duty or tax but shall not include-*

(a) *any sum allowed by the seller of goods to the*

purchaser as cash discount, commission or trade discount according to normal trade practice, at the time of sale of goods;

- (b) the cost of outward freight or delivery or the cost of installation in cases where such cost is separately charged;*
- (c) the amount of tax under this Act, if separately charged by the dealer;*

Explanation.- *For the purpose of this sub-section "Sale Price" includes;-*

- (a) in relation to the delivery of goods on hire purchase or any other system of payment by installments, the total amount of valuable consideration including deposit or other initial payment in order to complete the purchase or the acquisition of the property in goods. It includes hire charges, interest and other charges incidental to such transaction, but does not include any sum payable as penalty or as compensation or damages for breach of agreement;*
- (b) in relation to transfer of the right to use any goods for any purpose (whether or not for a specified period) the valuable consideration or hire charges received or receivable for such transfer of right to use goods but does not include any sum payable as a penalty or as compensation or damages for breach of agreement;*

- (c) *in relation to the transfer of property in goods (whether as goods or in some other form) involved in the execution of works contract, the valuable consideration paid or payable to a person for the execution of such works contract, less the actual amount representing labour and such other charges as may be prescribed, but does not include any sum payable as a penalty or as compensation or damages for breach of agreement;*
- (d) *the amount of duties paid or payable under Central Excise Act, 1944, or Customs Act, 1962, or U.P. Excise Act, 1910, as applicable in Uttarakhand, in respect of such goods at the time of clearance of the goods from bonded warehouse, whether such duties are paid or payable by or on behalf of the seller or by any other person;*
- (e) *the price of packing material in which goods sold are packed;”*

15. इस प्रकार, यह स्पष्ट है, हालांकि विशेष रूप से इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि बाजार शुल्क को बिक्री मूल्य से बाहर रखा जाएगा, यह स्पष्ट है कि निम्नलिखित राशियां बिक्री मूल्य में शामिल हैं: (i) माल की डिलीवरी के समय या उससे पहले माल के संबंध में डीलर द्वारा की गई किसी भी चीज के लिए प्रभारित राशि; (ii) उत्पाद शुल्क; (iii) विशेष उत्पाद शुल्क या कोई अन्य शुल्क या कर, लेकिन इसमें शामिल नहीं होंगे: (क) सामान की बिक्री के समय सामान्य

व्यापार व्यवहार के अनुसार नकद छूट, कमीशन या व्यापार छूट के रूप में खरीदार को माल के विक्रेता द्वारा अनुमत कोई राशि; (ख) बाहरी माल ढुलाई या डिलीवरी की लागत या ऐसे मामलों में स्थापना की लागत जहां ऐसी लागत अलग से प्रभारित है; और (ग) अधिनियम के तहत कर की राशि, यदि विक्रेता द्वारा अलग से प्रभारित की जाती है।

16. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि डिलीवरी से पहले या डिलीवरी के समय भुगतान की जाने वाली कोई भी राशि बिक्री मूल्य में शामिल होती है, लेकिन ऐसी राशि जो माल के विक्रेता द्वारा खरीदार को दी जाती है, या बाहरी माल ढुलाई या डिलीवरी आदि, अधिनियम के तहत कर सहित बाहर हैं। इस प्रकार, हमारी राय है कि मेसर्स आनंद स्वरूप महेश कुमार (उपर्युक्त) मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय की दृष्टि में, बिक्री मूल्य में वह मंडी शुल्क शामिल नहीं होगा जो निगम द्वारा एकत्र किया जाता है और समिति की निधियों के साथ जमा किया जाता है। हमारी यह भी राय है कि मैसर्स अशोक कुमार बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य सिविल विविध रिट याचिका संख्या 681/ 2009 दिनांकित 01.09.2010 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा लिया गया दृष्टिकोण, सही दृष्टिकोण नहीं है।

17. इस मामले को ध्यान में रखते हुए, इस वाणिज्यिक कर पुनरीक्षण को

अनुमति है। निर्धारण प्राधिकरण द्वारा दिनांक 26.04.2011, प्रथम अधिकरण द्वारा दिनांक 17.02.2012 और विद्वान अधिकरण द्वारा दिनांक 05.07.2013 को पारित आदेश, इसके द्वारा निर्धारित किए गए हैं। पुनरीक्षणकर्ता-निर्धारिती मंडी शुल्क को छोड़कर, बिक्री मूल्य पर मूल्य वर्धित कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

18. खर्चों के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।
19. उक्त के क्रम में, सभी लंबित आवेदनों का भी निस्तारित किया जाता है।
20. इस आदेश की तत्काल प्रमाणित प्रति नियमों के अनुसार पक्षों को जारी की जाए।

एस० के० मिश्रा, ए०सी० जे०

आर० सी० खुलबे, जे० ।

तिथि: 22 अप्रैल 2022

राहुल